Faridabad Plot Built Properties in all Sectors
SYNDICATE ESTATE AGENCY
Ind. Plot no. 11, Sector-15A, Faridabad.
Ph. : (o) 2284588
(R) : 2224288
Spl. In - Residential, Commercial & Industrial

मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक
नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06/R.N.I. No. 66400/97

ANCHOR ROADLINES
(Regd) SCO - 29, Shoping Centre, Sec. - 11D, FBD.
Daily Parcel Service
For : Noida, Surajpur, Kasna, Ghaziabad, Haridawar, Gurgaon, Manesar, Dharuhera, Bhiwadi, Vice Varsa
24, Hours Service
Phones : 2285044, 2291388

वर्ष 24 | अंक 11 | फ़रीदाबाद, शनिवार, 16-30 अप्रैल 2011 | फोन : - 9999595632, 0129- 4022632 | सहयोग राशि 1 रुपया

उपभोक्ता फ़ोरम अध्यक्षा द्वारा धोखाधड़ी व फ़ाइल में जालसाजी

आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 का अपराध है

पलवल (म.मो.) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए बनाये गये उपभोक्ता फ़ोरमों को सरकार लूट के अड्डे तो बना ही चुकी थी, अब यहां की अध्यक्षा ने धोखाधड़ी व फ़ाइलों में जालसाजी का धंधा भी शुरू कर दिया है। जाहिर है, यह लूट बढ़ाने के लिए ही किया गया होगा।

इस फ़ोरम में चले एक मुकदमे, विनोद कुमार शर्मा बनाम यूनाइटिड इन्श्योरेंस कंपनी, के दस्तावेज़ों का अध्ययन करने पर इस संवाददाता ने पाया कि अध्यक्षा के साथ बैठ कर फ़ोरम के जिस सदस्य सतीश मित्तल ने बहस सुनी थी, उनका नाम मिटा कर उस महिला सदस्या पुष्पा मेहता का नाम आदेश में लिख दिया गया जिसने बहस सुनी ही नहीं। समझा जा सकता है कि सतीश मित्तल जालसाजी में शामिल होने को तैयार नहीं हुए तो अध्यक्षा ने डमी बैठाई गई महिला सदस्या से हस्ताक्षर करवा लिए। इतना ही नहीं, बहस व आदेश की तारीखों के अलावा ज़िमनी आदेशों में भारी हेराफ़ेरी की गई है।

मुकदमा सुनवाई प्रक्रिया के दौरान 17.2.11 बहस की सुनवाई के लिए रखी गई थी। इस तारीख पर वादी विनोद के वकील गैरहाजिर थे और फ़ोरम के दोनों सदस्य भी नहीं थे। इसके बावजूद अध्यक्षा ने प्रतिवादी के वकील पर बहस करने का अत्यधिक दबाव डाला। जब प्रतिवादी वकील की कोई दलील काम न आई तो उन्होंने फ़ोरम के कोरम पूरा न होने की दलील दी। विदित है कि अकेली अध्यक्षा कोई भी अदालती कार्यवाही करने को अधिकृत नहीं है। इस दलील की कोई

अकेली अध्यक्षा कोई भी अदालती कार्यवाही करने को अधिकृत नहीं है। इस दलील की कोई काट न पा कर भुनभुनाते हुए अध्यक्षा ने बहस के लिए 22.02.11 तारीख निश्चित कर दी।

काट न पा कर भुनभुनाते हुए अध्यक्षा ने बहस के लिए 22.02.11 तारीख निश्चित कर दी। इस तारीख पर किसी कारणवश प्रतिवादी वकील (फ़रीदाबाद से) पलवल नहीं पहुंच पाये तो फ़ोरम ने प्रतिवादी के जूनियर वकील को कहा कि वादी अपनी बहस सुना गया है, आपको जो कुछ कहना हो 24.02.11 को आ कर कह देना। इस तारीख पर प्रतिवादी बीमा कंपनी के वकील की बहस सुनने के बाद फ़ोरम (अध्यक्षा व सतीश मित्तल) ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। दिनांक 3.3.11 को जब प्रतिवादी वकील किसी अन्य केस के सिलसिले में फ़ोरम गये तो उन्हें इस केस के फ़ैसले की प्रति थमा दी गई। फ़ैसले की तारीख व सदस्य के हस्ताक्षर देख कर वे हैरान रह गये। बहस सुन कर फ़ैसला सुरक्षित तो रखा गया 24.02.11 को और आदेश टाइप हो गया 17.02.11 को। दरअसल, अध्यक्षा टाइपिस्ट को फ़ैसला लिखाते वक्त तारीख की हेराफ़ेरी बताना भूल गई, जिसे बाद में काट-पीट कर 24.02.11 बनाया गया। इसके अलावा 24.02.11 को बतौर सदस्य बहस तो सुनी थी सतीश मित्तल ने और आदेश पर हस्ताक्षर करा रखे हैं महिला के। यहां टाइपिस्ट ने फ़िर वही 'ग़लती' दोहरा दी और आदेश पर सतीश मित्तल छाप दिया जिसे बाद में सफ़ेदा लगा कर मिटाया गया और उस पर महिला सदस्या के दस्तखत कराये गये। इससे भी अधिक मज़े की बात तो यह है कि उस दिन यानी 24.02.11 को वह महिला सदस्य फ़ोरम से गैरहाज़िर थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तो यह है कि जो सदस्य (सतीश मित्तल) सुनवाई के समय मौजूद थे, उनको दरकिनार करने के उद्देश्य से उस दिन की कार्यवाही फ़ाइल पर चढ़ाई ही नहीं गई। लेकिन सदस्य सतीश मित्तल द्वारा फ़ाइल पर लिखी नोटिंग की वजह से यह केस फ़ाइल पर आ ही गया। दरअसल, अध्यक्षा ने तो 17.02.11 को ही सुनवाई समाप्त करके फ़ैसला लिखा दिया था।

फ़ोटोग्राफ़र डीसी

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर में दिनों दिन बढ़ रहे अतिक्रमण, अनियमितताओं व गंदगी के ढेरों की फ़ोटो डीसी प्रवीण कुमार ने खींची। सवाल पैदा होता है कि वे तस्वीरें किसको दिखाई जायेंगी ? ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें आये दिन मीडियाकर्मी जनता, अफ़सरों व नेताओं को दिखाते रहते हैं जिन्हें खुद डीसी साहब भी ज़रूर देखते होंगे। उन तस्वीरों को देख कर कुछ कार्यवाही करने के बजाये श्रीमान जी ने खुद ही तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। ऐसी ही एक जगह पर कार्यवाही के नाम पर श्रीमान जी ने नगर निगम के इंजीनियरों को तलब करके उन्हें धमकाया, समझाया व दिशा निर्देश भी दिये। विदित है कि ये इंजीनियर उनके मातहत नहीं हैं, इनसे काम लेने व दिशा निर्देश देने के लिए सरकार ने बाकायदा एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त कर रखा है जो अपेक्षाकृत डीसी से कहीं ज़्यादा सीनियर है। यदि डीसी में हिम्मत है तो उस आईएएस अधिकारी को दिशा निर्देश दे कर देखें।

मूर्खता और बेशर्मी का एक और नमूना

फरीदाबाद (म.मो.) पिछले दिनों हाई कोर्ट से आये जज ए के मित्तल व स्थानीय सेशन जज के साथ डीसी प्रवीण कुमार भी नीमका स्थित ज़िला कारागार का निरीक्षण करने पहुंच गये। अपनी बेहूदा आदतों के अनुरूप प्रवीण कुमार ने कैदियों से अवांछित वार्तालाप शुरू कर दिये। दोनों जज व जेल अधिकारी यह सब देखते रहे। लेकिन उनके सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब इस मूर्ख ने एक कैदी को बात करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन ही दे दिया। कैदी को मोबाइल पर बात करते जब इन सब अधिकारियों ने देखा तो हाई कोर्ट जज से न रहा गया। अनजाने में उन्होंने जेल अधिकारी को फटकारा, लेकिन जब जेल अधिकारी ने उन्हें बताया कि यह मोबाइल फ़ोन तो डीसी साहब का है, फ़िर तो जज साहब के गुस्से का क्या कहना था। इससे पूर्व उन्होंने शायद इतना मूर्ख डीसी देखा नहीं था। जज साहब ने अपना पूरा गुस्सा डीसी पर उतार दिया। लेकिन डीसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मानो उन्होंने उस गुस्से को कपड़ों पर लगी मिट्टी की तरह झाड़ दिया हो।

सांसद की अध्यक्षता में विजिलेंस कमेटी का नाटक

डक्का तोड़ना नहीं फली फोड़नी नहीं, उसके बावजूद भी सरकार अपने कामों का ढोल पीटने से बाज़ नहीं आती। सांसद अवतार भड़ाना की अध्यक्षता में बनाई गई ज़िला विजिलेंस कमेटी भी एक ऐसा ही ढोल है। प्रतिमाह होने वाली इस कमेटी में वैसे तो कुल 35 सदस्य हैं, जिनमें तमाम विभागों के अधिकारियों के अलावा कुछ सरकारी नेता भी नामज़द हैं।

कन्या भ्रूण हत्यारों से जब मंथली ली जायेगी तो लिंग अनुपात कैसे ठीक होगा ?

देश के जिस ज़िले का लिंगानुपात सबसे कम है वह है झज्जर। यहां 1000 लड़कों पर सिर्फ़ 774 लड़कियां ही बची हैं। पर इसे बिडंवना ही कहेंगे कि इस ज़िले को पिछले दस वर्षों में दो बार लड़कियों को बचाने के लिए बेहतर प्रयास करने के लिए सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। झज्जर ज़िले में देश में सबसे कम लिंगानुपात कैसे हुआ, इसकी कहानी प्रस्तुत है। इसे पढ़ कर पाठकों को सारी सच्चाई समझ में आ जायेगी। पाठकों को समझ लेना चाहिए कि ऐसा सिर्फ़ झज्जर में ही नहीं हो रहा, लगभग हर जगह हो रहा है।

फ़रीदाबाद (म.मो.) लगभग हर ज़िले में कन्या भ्रूण हत्यारे ज़िले के सीएमओ अथवा सिविल सर्जन को लाखों की मंथली दे कर इस दुष्कर्म को करने का अभयदान पा कर ही अपना धंधा चला पाने में सफ़ल होते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि मंथली पाने वाले सीएमओ खुद भी अपनी इस कमाई वाली तैनाती पाने व बनाये रखने के लिए अपने ऊपर बैठे आकाओं को भी लूट में से बराबर हिस्सा देते हैं।

ऐसा ही एक भंडाफोड़ किया गुड़गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश ने। वर्ष 2006 में जब धर्मवीर सहारण नामक एक मानवता का शत्रु बतौर सीएमओ गुड़गांव तैनात था और जिसके पास झज्जर ज़िले को भी लूटने का अतिरिक्त ठेका था, उसे जगदीश ने बार-बार पत्र लिख कर पटौदी के उस क्लीनिक के बारे में सूचित किया जहां संगठित रूप से बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या की जाती थी। सहारण ने उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की अपेक्षा जगदीश का पत्र दिखा कर अपनी मंथली पांच लाख से बढ़वा कर सीधी दस लाख करवा ली। सहारण का तर्क था कि क्लीनिक में भ्रूण हत्या का काम इतने ज़ोरों पर चल रहा है कि गुड़गांव के लोग़ों तक भी इसकी गूंज पहुंच रही है। सहारण ने तो मंथली बढ़ा ली, लेकिन जगदीश चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में बैठे महानिदेशक को इस बाबत पत्र लिखा, कोई असर नहीं हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री व कई अन्यों को भी महीनों पत्र लिखे। करीब आठ-नौ माह बाद कोई पत्र घूमता-फ़िरता नीचे आया जिसके मुताबिक चंडीगढ़ कार्यालय व गुड़गांव से छापामार टीम बननी थी, लेकिन चंडीगढ़ से कोई अधिकारी नहीं आया तो गुड़गांव से ही टीम तैयार कर ली गयी। जिस अपराध पर तुरंत छापा पड़ना चाहिए था, उस पर नौ माह बाद छापा पड़े तो समझा जा सकता है कि छापा कितना कामयाब होगा। सहारण भी इसी बात से निश्चिंत था। लेकिन छापामार टीम में इत्तफ़ाक से एक बहादुर, चतुर व कर्त्तव्यनिष्ठ महिला डॉक्टर सुमन बिश्नोई भी शामिल थीं। उसने पूरी चतुराई व हिम्मत से पूरे कांड को खोज निकाला। क्लीनिक के शौचालय के लिए बने सेप्टिक टेंक अथवा छोटी-सी कुंई से डॉ. सुमन ने सैंकड़ों की संख्या में नष्ट किये गये भ्रूणों के अवशेष बरामद कर लिये। मज़े की बात यह है कि इन अवशेषों की जांच करने वाली पुलिस की फोरेंसिक प्रयोगशाला ने इनके मानव भ्रूण होने पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया,

शेष पेज 2 पर

सही क्लीनिक क्या करें ?

अधिकारियों को मंथली दे कर कन्या भ्रूण हत्या करने का काम लगभग 10 प्रतिशत क्लीनिक ही करते हैं, पर अधिकारी बाकी क्लीनिकों पर भी जो यह गैरकानूनी काम नहीं करते, पैसे देने के लिए दबाव बनाते हैं और उन्हें काफ़ी परेशान करते हैं। वे उन्हें धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो वे उन्हें भ्रूण हत्या के मामले में फंसा कर कानूनी कार्यवाही करेंगे और क्लीनिक को बंद करा देंगे। ऐसे में साफ़-सुथरी छवि वाले क्लीनिकों के सामने बड़ी समस्या आ जाती है कि वे करें तो क्या ?